



विश्व भर के ग्राहकों के साथ जुड़ते हुए Bonding with Customers across the Globe

डिजीटली आपका...

Digitally yours...

#### निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री टी.एन. मनोहरन अध्यक्ष Shri T.N. Manoharan Chairman



श्री राकेश शर्मा प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी **Shri Rakesh Sharma** Managing Director and Chief Executive Officer



श्री प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक ( 31-5-16 तक) Shri Pradyuman Singh Rawat Executive Director (upto 31-5-2016)



श्री हरिदीश कुमार बी. कार्यपालक निदेशक Shri Harideesh Kumar B. Executive Director



श्री दीनबंधु महापात्र कार्यपालक निदेशक Shri Dinabandhu Mohapatra Executive Director



**श्री. पंकज जैन** भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक (1-5-16 तक) **Shri Pankaj Jain** Director Representing Government of India (upto 1-5-2016)



भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक **Smt Uma Shankar** Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. मणिमारन अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri G. V. Manimaran Officer Employee Director



श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक Shri Sunil Hukumchand Kocheta Part-time Non-Official Director



श्री साईराम बी. मोचरोला अंशकालिक अनधिकारिक निदेशक Shri Sairam B. Mocherla Part-time Non-Official Director



श्री राजेन्द्र कुमार गोयल शेयरधारक निदेशक Shri Rajinder Kumar Goel



श्री संजय जैन शेयरधारक निदेशक **Shri Sanjay Jain** Shareholder Director





वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 ANNUAL REPORT



	वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016			ANNUAL REPORT 2015-2016		
विषयवस्तु				CONTENTS		
1.	े नोटिस	3	1.	NOTICE	Ξ	
			2.	PROGRESS AT A GLANCE	39	
	प्रगति की एक झलक	39	3.	DIRECTORS' REPORT 2015-2016	40	
3.	निदेशकों की रिपोर्ट 2015–2016	40		MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	41	
	• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	41		• CANARA BANK IN 2015-2016	45	
	<ul> <li>केनरा बैंक वर्ष 2015–2016 में</li> </ul>	45		CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	93	
	• निदेशक मंडल में परिवर्तन	93		DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	96	
	• •			BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	97	
	• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	96	5.	REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	123	
4.	कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	97	6.	AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE	12.	
5.	कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	123	0.	GOVERNANCE	145	
6.	कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	145	7.	STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS		
	एकल वित्तीय विवरण			AUDITORS' REPORT	147	
/.	·			BALANCE SHEET	151	
	• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	147		PROFIT AND LOSS ACCOUNT	152	
	• तुलन पत्र	151		SCHEDULES FORMING PART OF THE	4	
	• लाभ व हानि खाता	152		BALANCE SHEET     SCHEDULES FORMING PART OF THE	153	
	<ul><li> तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ</li><li> लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ</li></ul>	153		PROFIT AND LOSS ACCOUNT	161	
	<ul> <li>लाम प हानि खात का अरा बननपाला अनुसूर्यपा</li> <li>लेखांकन नीतियाँ</li> </ul>	161 163		ACCOUNTING POLICIES	163	
	• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	172		NOTES ON ACCOUNTS	172	
	• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	226		PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	227	
	• नकद प्रवाह विवरण	334		CASH FLOW STATEMENT	334	
0	समेकित वित्तीय विवरण		8.	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS		
0.				AUDITORS' REPORT	338	
	• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	338		CONSOLIDATED BALANCE SHEET	342	
	<ul><li>समेकित तुलन पत्र</li><li>समेकित लाभ व हानि खाता</li></ul>	342		CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	343	
	<ul> <li>समाकत लाभ व हानि खाता</li> <li>समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ</li> </ul>	343		SCHEDULES FORMING PART OF THE	2.44	
	<ul> <li>समिकित तुलन पत्र का अंश बननपाला अनुसूर्यपा</li> <li>समेकित लाभ व हानि खाते का अंश</li> </ul>	349		CONSOLIDATED BALANCE SHEET	349	
	बननेवाली अनुसूचियाँ	351		SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	353	
	• लेखांकन नीतियाँ	353		ACCOUNTING POLICIES	353	
	• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	366		NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED		
	• समेकित नकद प्रवाह विवरण	383		FINANCIAL STATEMENTS	366	
۵	प्रबंध निदेशक और सीईओ का शेयरधारकों को संबोधन	385	0	CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT  AAAAAACIAG DIRECTOR AAAD CEO'S ADDRESS	383	
			9.	MANAGING DIRECTOR AND CEO'S ADDRESS TO SHARE HOLDERS	385	
10	. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	386	10	LIST OF DP SERVICE CENTRES	387	
11	. नामांकन पत्र	390		NOMINATION FORM	391	
12	. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	401		ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	402	
13	. प्रॉक्सी फार्म	403		PROXY FORM	404	



#### नोटिस

एतद्द्यारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, 26 2016 को प्रात: 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

- यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समापन 31 मार्च, 2016 हेतु लाभ व हानि लेखा, बैलेंश शीट व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा कवर अविध हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना ।
- 2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि**" बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात सेबी (पुँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्त्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपन्न और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तो एवं निबंधनों

#### **NOTICE**

Notice is hereby given that the Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Tuesday, the 26 July 2016 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet
  of the Bank as at 31st March 2016, Profit & Loss account
  for the year ended 31st March 2016, the Report of the
  Board of Directors on the working and activities of the
  Bank for the period covered by the Accounts and the
  Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative



जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभृतियाँ जो ईक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, ₹ 2000 करोड़ तक (यथा बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा निर्धारितानसार) जो वर्तमान ₹ 542.99 करोड़ की चुकता ईक्विटी शेयर पुंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण ) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पुंजी सीमा ₹ 3000 करोड़ के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पुंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्युच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिदेशों के अनुसार बैंक के ईकविटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मुल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित होगी"

"संकल्प लिया जाता है कि" कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सिहत या रिहत सार्वजिनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जिरए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto ₹ 2000 Crore (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ 542.99 crore will be within ₹3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any ), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI with or without overallotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and /or other advisors or otherwise on



और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"संकल्प लिया जाता है कि" कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानें के अनुसार , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने) वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामृहिक रूप से "समृचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमित, अनुमित और या/ मंज़्रियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमित, अनुमित और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभृतियां, जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मुल्य, इतों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानुनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पुँजी का 52% से कम धारित न करता हो।"

"संकल्प लिया जाता है कि" कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतःप्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा। such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."



- ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"संकल्प लिया जाता है कि" अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अदंर होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इकविटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभृतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने हेत् जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभृतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करें जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तो को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शिक का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/ securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."



"संकल्प लिया जाता है कि" बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेन्सियों से, जो इस प्रकार के इकविटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। "

"संकल्प लिया जाता है कि" उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रुंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सिहत), अिंत मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अविध, ईिक्वटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अविध, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचें जों में सूचीकरण सिहत निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकत किया जाता है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अतिंम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमित अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."



"संकल्प लिया जाता है कि" निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़िरए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अतंरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना – डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011, के साथ पठित डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08, दिनांक 01.11.2007 और भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं एफ. सं. 16/83/2013–बीओ–आई दिनांक 03.09.2013 व एफ. सं. 16/51/2012 – बीओ–आई, दिनांक 28.04.2015 के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केन्द्र सरकार से अन्य, बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए।

"संकल्प लिया जाता है कि" भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना व भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के तहत निहित योजना, विनियमों और अधिसूचनाओं के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2016 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात 26 जुलाई, 2019) कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें। "RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To elect three Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions] Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 & F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 of Government of India (GOI) by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memoranda of GOI, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2016 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2019)"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

21421 2141.

राकेश शर्मा

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूर तिथि : 03-06-2016 By Order of the Board of Directors

RAKESH SHARMA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place: Bengaluru Date: 03-06-2016